न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/56/18	12–06–2018	28–06–2018

1–हाडसिंह डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच0डी0एफ0सी0) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस एच टी पारेख मार्ग, 169 बैकबे रिक्लेमयेशन चर्चगेट मुम्बई 400020 जिसका शाखा कार्यालय एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड सी–25 भगवन्त दास रोड सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी स्कीम जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

प्रार्थी

बनाम

1–श्री रनवीर सिंह पहला पता : 10 स्कवैडरन एयरफोर्स मार्फत 3 विंग, एयारफोर्स मार्फत 56 एपीओ पिनकोड 936010

दूसरा पताः ई–128 सेक्टर–4 विवेकानन्द नगर उज्जवल एकडमी के पास अलवर–301001

तीसरा पता : डी–53 बुध बिहार अलवर– 301001 राजस्थान

2–श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह

पहला पता : ई–128 सेक्टर–4 विवेकानन्द नगर उज्जवल एकडमी के पास अलवर

दूसरा पता : डी–53 बुध बिहार अलवर– 301001 राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 दिनांक 23–04–2018

(प्रार्थना पत्र रिव्यू)

––निर्णय––

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन आफॅ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 किया गया जिसका निर्णय दिनांक 23.04.2018 को निर्णय किया गया था। निर्णय के बिन्दू संख्या 1 में रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आपेक्ष बाबत प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी वकील उपस्थित होने पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी (श्रीमती प्रतिभा चौधरी पत्नि श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी) ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 23.04.2018 को बिन्दू संख्या 1 में यह आदेश दिया गया कि रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें। रहन रखी गई सम्पत्ति का साबिक प्लॉट नम्बर 64 रकबा 193.47 वर्गगज था, जो नगर विकास न्यास अलवर द्वारा दिनांक 31.01.2013 को पट्टा जारी करते समय उक्त भूखण्ड का नया नम्बर ई–128 सेक्टर 04 विवेकानन्द नगर अलवर किया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 2 में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 17,18,19,20,22, व 23 घरेलू हिंसाओं से

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पेश किया हुआ है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित भूखण्ड पर आगामी आदेश तक बेदखल ना किये जाने के आदेश दिया हुआ है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थीनी को तंग व परेशान करने व मकान से बेदखल करने के लिये साजिस रचकर सम्पूण कार्यवाही की है, विवादित आराजी सामूहिक है और पैत्रिक पैसे से खरीद की जाकर निर्माण किया गया है। ऋणी रनवीर सिंह व श्रीमती सुशिला देवी आपस में माता व पुत्र है और रनवीर सिंह प्रार्थीनी का जेठ है तथा श्रीमती सुशिला देवी प्रार्थीनी की सास है। रनवीन सिंह ने श्रीमती सुशिला देवी को अपने प्रभाव में लेकर बेईमानी पूर्ण तरीके से प्रार्थीनी को बेदखल करने के सम्पूर्ण कार्यवाही की है, प्रार्थीनी को तंग व परेशान करने नियत से विघुत कनेक्शन का विच्छेद करवा दिया था। अतः प्रकरण में आदेश दिनांक 23.04.17 बाबत विवादित मकान के कब्जे की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। रहन सम्पत्ति श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह की सम्पति जो ई–128, सेक्टर–4 विवेकानन्द नगर, ग्राम अलवर नं0–02 अलवर प्रार्थी एच0डी0एफ0सी0 के पास रहन रखी हुई है तथा उक्त सम्पत्ति की असल मालिक श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह द्वारा सम्पत्ति को रहन रख प्रार्थी एच0डी0एफ0सी0 से वित्तिय सुविधा प्राप्त की गई थी। रहन रखते समय इस सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेज कम्पनी के यहां जमा करवा दिये गये थे प्रार्थी एच0डी0एफ0सी0 के पास मोरगेज है। वित्तिय सुविधा का नियमानुसार भुगतान नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेंश प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2018 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.18 से आहत है तो धारा 17 में डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.18 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी श्रीमती प्रतिभा चौधरी पत्नि श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी जाति जाट निवासी मकान संख्या 64 सैक्टर 04 उज्जवल एकेडमी के पास विवेकानन्द नगर अलवर हाल मकान नम्बर ई 128 सैक्टर नम्बर 04 उज्जवल एकेडमी के पास विवेकानन्द गनर अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)